

न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं०-69 सन् 2020

पारस राय वल्द उत्तीम राय.....वादी।

बनाम

दिनेश्वर राय वगै०.....प्रतिवादी।

दिनांक-27.03.2024

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 सी०पी०सी० के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 29.04.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं० 10 श्रीराम ओझा वल्द स्व० यदुवंश ओझा थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 20.02.2022 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं० 10 का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं० 10 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा-5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं० 10 श्रीराम ओझा वल्द स्व० यदुवंश ओझा थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 20.02.2022 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है, जिसमें कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 29.04.2022 को 500/-रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें। वाद दिनांक.....को सुनवाई हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।

